

# SURVEY OF INDIA

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
हाथीबडकला एस्टेट, डाक बक्स सं० 37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।

टेलिफैक्स +91-135-2744064,2743331  
Website [www.surveyofindia.gov.in](http://www.surveyofindia.gov.in)  
E-Mail [sgo.conf soi@gov.in](mailto:sgo.conf soi@gov.in)



सं०सी-6485/853-मैनेजर  
सेवा में

दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

निदेशक,  
पूर्वी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण,  
कोलकाता ।

विषय: प्रबंधक, मानचित्र पुनरूत्पादन (कनिष्ठ) से प्रबंधक, मानचित्र पुनरूत्पादन (वरिष्ठ) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनानुसार निम्नलिखित प्रबंधक, मानचित्र पुनरूत्पादन (कनिष्ठ) (ग्रुप 'ए') के प्रबंधक, मानचित्र पुनरूत्पादन (वरिष्ठ) (ग्रुप 'ए') के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश जारी किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती	टिप्पणी
1.	श्री मधुकर तिवारी	पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता	पश्चिमी मुद्रण वर्ग, नई दिल्ली ।	(i) पदोन्नति दिनांक 01.11.2022 से प्रभावी होगी । (ii) पदोन्नति पर अधिकारी को कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा ।


2. यह पदोन्नति दिनांक 01-11-2022 अथवा अधिकारी के वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी । कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र (फार्म 0.115 (लेखा)) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें । इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 30-11-2022 तक अवश्य सूचित करें । उपरोक्त अधिकारी को यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उनकी अस्वीकृति की तारीख से उन्हें एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी ।

4. उपरोक्त अधिकारी प्रबंधक मानचित्र पुनरूत्पादन (वरिष्ठ) के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे । इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें ।

5. यदि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

6. उपरोक्त अधिकारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(1)(ए)(i) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा एवं उनका वेतन निर्धारण निर्धारित नियमानुसार किया जाये ।

  
(डा० यू० एन० मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक ।

## प्रतिलिपि:

- सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग), टैक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली (ध्यानाकर्षण: श्री प्रेम कुमार, अवर सचिव (एस0एम0पी0) को उनके पत्र सं० एस0एम0/01/05/2022 दि० 07 जुलाई, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद को सूचनार्थ ।
- निदेशक, पश्चिमी मुद्रण वर्ग, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता/जयपुर को सूचनार्थ ।
- स्थापना-1 अनुभाग (म0स0का0)/वेबसाइट इंचार्ज, म0स0का0 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।